न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर

अपील संख्या 51/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00051)

1. कमला पत्नि हंसराज जाति जाट नि. गोलूवाला सिहागान।
2. कृष्णलाल पुत्र आसाराम जाति कुम्हार नि. गोलूवाला सिहागान।
3. मदनलाल पुत्र देवीलाल जाति नाई
4. बलराम पुत्र मलूराम जाति नाई
5. ओमप्रकाश पुत्र लाधुराम जाति जाट

निवासीगण ग्राम अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरविन्द्र सिह
2. सुखजिन्द्रसिह

पुत्रगण श्री कुलदीपसिह

3. सुखविन्द्रसिह
4. गुरविन्द्रसिह

पुत्रगण श्री गुरमेलसिह

5. जसपालकौर पत्नि जंगीरसिह।
6. समितकौर पत्नि तरसेमसिह।
7. आकाशदीप
8. सुखवीर
9. सतनामसिह
10. मंगासिह

पुत्र/पुत्री तरसेमसिह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता समितकौर पत्नि तरसेमसिह

जाति जटसिक्ख निवासीगण ग्राम अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

11. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 07.11.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सहायक कलैक्टर एवमं उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 11.09.2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 10 ने सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर चक नं. 15 एमओडी–बी. के पत्थर नं. 38/262 के किला नं. 21 ता 25 में 0.025–0.025 हैक. गै.मु. रास्ता का अंकन हटाया जाकर किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. नहरी भूमि का प्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम से ब.हि.ब. व किला नं. 24–25 प्रत्येक में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

0.025–0.025 हैक्. नहरी भूमि का प्रार्थी सं. 5 के नाम से 1/6 हिस्सा, प्रार्थी सं. 6 के नाम से 1/6 हिस्सा , प्रार्थी सं. 7 ता 10 के नाम से 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश देने का निवेदन किया। जिस पर सहायक कलक्टर एवंम उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा ने अपने निर्णय दिनांक 11.09.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक नं. 15 एमओडी–बी. के पत्थर नं. 38/262 के किला नं. 21 ता 25 में 0.025–0.025 हैक्. गै.मु. रास्ता का अंकन हटाया जाकर किला नं. 21 ता 23 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक्. नहरी भूमि का प्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम से ब.हि. ब. व किला नं. 24–25 पत्येक में 0.025–0.025 हैक्. नहरी भूमि का प्रार्थी सं. 5 के नाम से 1/6 हिस्सा, प्रार्थी सं. 6 के नाम से 1/6 हिस्सा, प्रार्थी सं. 7 ता 10 के नाम से 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 10 को पहले साधारण सम्मन एवं बाद में रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा चक नं. 15 एमओडी–बी. के पत्थर नं. 38/262 जिसके खाता सं. 54 व प. नं. 38/261 खाता सं. 30 में कि. नं. 21 ता 25 में 0.25–0.25 हैक्टर गै.मु. रास्ता स्वीकृत होकर दर्ज रिकार्ड होकर रास्ता चल रहा है, जिसमे अपीलान्ट सहित चक/गांव के लोग आवाजावी करते है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 10 ने अधीनस्थ न्यायालय में मिथ्या कथनो के आधार पर रिकार्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गै. मु. रास्ता की भूमि को अपने नाम से अंकन कराने का आदेश हासिल कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उसे धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज कर बिना माइण्ड अप्लाई किये गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 10 के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नाम अंकन कर आदेश पारित कर दिया जबकि राज. टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 में ऐसी भूमि बाबत अन्य के नाम अंकन की स्पष्ट मनाही हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल स्टेट को ही पक्षकार बनाया है जिसने रेस्पोडेन्ट से साठ–गाठ कर सही तथ्य को छिपाकर रिपोर्ट पेश कर केवल राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए लिखा है जबकि इस जैर अपील रास्ता बाबत सन् 2016 मे विवाद हुआ था, जिसमे तहसीलदार स्वय ने पटवारी हल्का, गिरदावर दिनांक 28.11.16 को उक्त रास्ता को मौके पर खुलवाया था। उक्त रास्ता जिसका उपयोग उपभोग अपीलान्ट्स अपने खेत जिनके मु.न. 7 व 10 है मे जाने के लिए वर्षो से ही कर रहे है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट्स हितबद्व, आवश्यक एवं पीड़ित पक्षकार है, जिन्हे रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना ही इक तरफा जैर अपील निर्णय हासिल किया है। दिनांक 30.10.18 को रेस्पोडेन्ट्स ने रास्ता भूमि में अपीलान्ट्स को आने–जाने से रोका और उक्त भूमि का आदेश अपने हक मे होने की बात कही तब बिना कोई देरी किये प्रमाणित नकल लेकर जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है, जो अन्दर मियाद शुमार की जावें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2018 निरस्त किया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1965 पेज 119, RRD 1992 पेज 173, RRT 2011 (2) पेज 829 (SUPREME COURT), RRT 2012 (1) पेज 669, RRT 2012 (1) पेज 670, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.09.2018 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 05.11.2018 को मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में अंकित किया उसे सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.10.2018 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 10 के द्वारा रास्ते पर आवा जावी करने पर रोकने से हुई, जबकि अपीलान्ट्स को दिनांक 02.10.2018 को जानकारी हो चुकी थी। अपीलान्ट्स ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पर किया गया कथन झूठा है, दिनांक 10.09.2018 को ओमप्रकाश व रणजीत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा में उपस्थित होकर उक्त स्वीकृत शुदा रास्ता खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करते है तथा दिनांक 02.10.2018 को ओमप्रकाश व विजेन्द्र द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 11.09.2018 में पारित आदेश का प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश करने तक राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद रोकने के आदेश तहसीलदार पीलीबंगा को देने का निवेदन किया था, तथा जिस पर स्टे भी जारी हुआ था। इस प्रकार अपीलान्ट्स को दिनांक 02.10.2018 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो चुकी थी। अपीलान्ट्स को धारा 136 की जानकारी दिनांक 10.09.2018 को थी तो अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर क्यो नही हुवे। सैक्शन 136 में जमाबन्दी मे दुरूस्ती का अधिकार लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में है। इसके साथ अपीलान्ट हितबद्व पक्षकार भी नही है। इनकी उक्त खसरे में जमीन भी नही है। इस खसरे मे पहले से कोई रास्ता नही है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 यहा पर चस्पा नही होती है। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद और शपथ पत्र झूठा होने के कारण अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1999 पेज 98, RRD 1994 पेज 276, RRD 2009 पेज 637, RRD 2011 पेज 386, RRD 1977 पेज 429, RRD 1981 पेज 280, RRD 1984 पेज 261, RRD 2007 पेज 311 (Hight Court), का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट ने सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 11.09.2018 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 05.11.2018 को अपील प्रस्तुत की है तथा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 30.10.2018 को होने तथा दिनांक 01.11.2018 को नकल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्राप्त करने का भी कारण भी अंकित किया है। अतः न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 10 ने अधीनस्थ न्यायालय में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर रिकॉर्डेड रास्ता को अपने नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने के आदेश देने का निवेदन किया, जबकि पूर्व मे यह रास्ता दिनांक 28.11.2016 को तहसीलदार ने जरिये पटवारी हल्का, गिरदावर, एवं मौके पर उपस्थित मौतबिरान के सामने कि. नं. 21 ता 25 की भूमि का रास्ता खुलवाया जाना प्रतिवेदित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट नही है कि किस आदेश के जरिये उक्त भूमि पर गै. मु. रास्ते की पूर्व में प्रविष्टि हुई ना ही यह खुलासा किया है कि रास्ता सम्बन्धी प्रविष्टि में क्या लिपिकीय त्रुटि है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत वही गलती दुरूस्त हो सकती है जो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी मे आती हो।

<u>**धारा 136 गलतियो का शुद्विकरणः–**</u> भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियो को विवित रीति से शुद्व कर सकेगा या उन्हे शुद्व करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्व नही की जायेगी जब तक की पक्षकारो को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दिया गया हो।

विचाराधीन प्रकरणो में विवादो का निस्तारण विस्तृत एवं गंभीर जांच एवं साक्ष्य सबूत के आधार पर किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में मात्र तहसीलदार को ही अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाया गया है, अन्य हितबद्व व प्रभावित काश्तकारो को पक्षकार भी नही बनाया गया है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 गै. मु. रास्ते के रूप में दर्ज भूमि को खातेदारी के रूप में दर्ज करने का विधिक उपाय नही है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही आता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 11.09.2018 को निरस्त किया जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 07.11.2023. को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर